राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः4(1)वित्त1(1)आ.व्य. / 2016 जयपुर, दिनांक : 27 मार्च, 2017

परिपत्र

विषयः– वर्ष 2016–2017 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन)।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए अनुपूरक मांगों को राजस्थान विधान सभा द्वारा स्वीकार कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2017 को दिनांक 20.03.2017 को पारित कर दिया गया है। इस विनियोग विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति (Assent) प्राप्त हो गई है। अतः अनुपूरक अनुदानों के विनियोग का इकाई वार विवरण (Details of Unit-wise Appropriation) स्पष्टीकारक स्मृति पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अब संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी / विभाग निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उनके नियंत्रणाधीन बजट शीर्ष में अनुमोदित राशियों का उपयोग कर सकेगें:–

1. 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित योजनाओं में भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने एवं राशि राज्य कोष में जमा हो जाने के पश्चात् ही व्यय किया जाए ;
2. व्यय बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाए ;
3. नवीन पद सृजन आदि पर व्यय करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाए तथा ;
4. बचत रहने की स्थिति में बचत के विस्तृत कारण देते हुए बचत राशि को समर्पित करने के लिए नियमानुसार समय पर ही कार्यवाही की जाए।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

27/3/17

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.पृ.उ.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, वित्त विभाग।
9. वरिष्ठ उपशासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनकी आज्ञा संख्या डी-50/मं.मं./2017 दिनांक 06.03.2017 की अनुपालना के संदर्भ में।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

निदेशक, वित्त (बजट)

[03/2017]